

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1088

क्र.	योजना का नाम	दिये जाने वाला लाभ	पात्रता के मापदंड	पेंशन भुगतान करने के संबंध में निर्देश
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	₹ 200/- प्रतिमाह ₹ 275/- प्रतिमाह ₹ 500/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु के बी.पी.एल. वृद्ध 65 से 79 आयु के बी.पी.एल. वृद्ध 80 वर्ष से अधिक आयु के बी.पी.एल. वृद्ध 	<ul style="list-style-type: none"> पेंशन योजनाओं का आवंटन केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था (ग्लोबल बजट) के अन्तर्गत होने से पृथक से जिलों को आवंटन नहीं दिया जाता। जिले द्वारा हितग्राहियों के अनुपात में प्रत्येक माहों में राशि का आहरण किया जाता है। शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रत्येक माह की आगामी 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने में निरेश है।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	₹ 300/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> 40 से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा माहलं 	
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	₹ 300/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> 18 से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त हितग्राही 	
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	₹ 150/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध। 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा 18 से 59 वर्ष आयु की बी.पी.एल. परित्यक्ता 06 से 18 वर्ष आयु के निःशक्त जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा बी.पी.एल. हों 	

5	मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजना पेंशन योजना	₹0 500 /- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> आयकर दाता न हो। आवेदक दम्पति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। दम्पति की केवल पुत्री संतान होना चाहिये। मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। निःशक्तता का मूल प्रमाण जिसमें निःशक्तजन को बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित होने का वर्णन हो।
6	6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान	₹0 500 /- प्रतिमाह	



उप संचालक(सामा.सहा.)

वास्ते-संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म0प्र0